गतांक की चीर-फ़ाड़

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

हिन्दू केवल वही जिसे संघ प्रमाणित करे!

मज़दूर मोर्चा के 22-28 जुलाई 2018 के अंक में राजनीतिक, संवैधानिक, प्रशासकीय, सामाजिक, आर्थिक आदि मुद्दों पर महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित हुये हैं। केन्द्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने के बाद पिछले चार साल से देश में संघ परिवार से संबंधित कट्टर हिंदुत्ववादी तत्वों द्वारा चुनावी साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण, असहिष्णुता, नफरत, धार्मिक कट्टरता, संकुचित राष्ट्रवाद व भीड़तंत्र द्वारा हिंसा का वातावरण बनाया जा रहा है। मुसलमान, ईसाई, दलित, तर्कवादी, अन्धविश्वास और संघ की हिन्दुत्ववादी विचारधारा के आलोचकों को हिंसा का शिकार बनाया जाता है जिसे मोदी सरकार व भाजपा शासित राज्यों की सरकारों द्वारा मौन समर्थन प्राप्त है। जो कि आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं, केन्द्रीय मंत्रियों व राज्यों की भाजपा सरकार के मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों के बयानों से स्पष्ट प्रकट होता है।

'भाजपा के गुंडों ने अब मुसलमानों, दलितों से आगे बढ़ प्रतिष्ठित मानवाधिकार कर्मी पर वार किया', 'अग्निवेश पर हमला -कुछ तो मुंह खोलें', 'अग्निवेश पर हमला हिंदू धर्म की आंत में धंसा हिंदुत्व का बल्लम!' तथा 'स्वामी अग्निवेश ने पाखंड पर क्या कहा....' में झारखंड राज्य के पाकुड़ में पहाड़िया महासम्मेलन में भाग लेने पहुंचे वयोवृद्ध सामाजिक कार्यकर्ता अग्निवेश पर आरएसएस से सम्बन्धित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् तथा भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा 'जय श्री राम' के नारे लगाते हुये किये गये जानलेवा हमले का बेबाक विवेचन किया गया है। अमरनाथ में बनने वाले बाबा बरफ़ानी को प्राकृतिक घटना बताने तथा आर्यसमाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की तरह शिवलिंग की पूजा के पाखंड कहने पर संघी लिंचिंग भीड़ ने अग्निवेश को बुरी तरह पीटा। देश में अनेक दार्शनिक हुये हैं, जिन्होंने मूर्तिपूजा का खंडन किया है।

इस कातिलाना हमले के षड्यंत्र की सभी लोकतांत्रिक व भाजपा विरोधी शक्तियों ने कठोर शब्दों में निंदा की परन्तु प्रधानमंत्री मोदी व संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने रहस्यमय चुप्पी साध रखी है जिससे कांग्रेसी नेता शशि थरूर के राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के बारे में प्रकट किये गये विचारों को बल मिलता है। इस घटना को घटित हुये एक सप्ताह से ऊपर हो गया है लेकिन न तो अपराधियों से पूछताछ की गई है और न ही किसी को गिरफ़्तार किया गया है। इससे लगता है कि सरकार द्वारा जांच करने की घोषणा केवल दिखावा मात्र है।

'मॉब लिंचिंग का अर्थ है भीड़ द्वारा पीट-पीट कर हत्या', 'पिछले दो महीनों में 30 से ज़्यादा लोग भीड़ हिंसा का शिकार हो चुके हैं' तथा एससी/ एसटी एक्ट की तरह बने संविधान लिंचिंग के खिलाफ़ सख्त कानून' द्वारा संघ परिवार देश में साम्प्रदायिक लिंचिंग का पर्दाफ़ाश किया गया है। भीड़ द्वारा लोगों की हत्या करने पर रोक लगाने के लिये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कोई कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता, लोकतंत्र में भीड़तंत्र बर्दास्त नहीं और संसद से नया कानून बनाने को कहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का आरएसएस के पदाधिकारियों तथा केन्द्रीय मंत्रियों पर कोई असर नहीं हुआ। उनके कथनों से स्पष्ट है कि संघ परिवार व भाजपा सरकार के लिये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की कोई परवाह नहीं है और संघ परिवार द्वारा न्यायपालिका को भी निरर्थक बनाया जा रहा है। साम्प्रदायिक लिंचिंग के खिलाफ़ सख़्त कानून बनाने की आवश्यकता है जिससे भीड़तंत्र पर लगाम लगाई जा सके।

मोदी सरकार ने मीडिया पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा है। आरएसएस की हिंदुत्व संबंधी विचारधारा व मोदी सरकार की आलोचना टीवी स्टूडियो में असम्भव होती जा रही है। 'सावधान! टीवी स्टूडियो में पहुंच गयी है मॉब लिंचिंग.... खतरनाक हो सकता है टीवी चैनल पर, मुसलमान नाम के साथ, हिंदू राष्ट्र पर बहस में हिस्सा लेना-टीवी स्टूडियो में भी कुछ वैसी ही मानसिकता देखी जा सकती है, जिस तरह से सड़कों पर उन्मादित भीड़ द्वारा लिंचिंग की घटनायें हो रही हैं....' में लाइव चर्चा के दौरान हिंदुत्व की राजनीति को बेनकाब करने वाले व्यक्ति से हुये दुर्व्यवहार और अपमान से इंगित होता है कि टीवी स्टूडियो में चर्चा के दौरान संघ की हिंदुत्ववादी विचारधारा को चुनौती नहीं दी जा सकती। 'पुण्य प्रसून के खुलासों से डरी मोदी सरकार, 9 बजते ही एबीपी चैनल दिखना हुआ बंद' द्वारा खुलासा किया गया है कि मोदी सरकार के दावों की पोल खोलने के प्रयास को असफ़ल बनाने के लिये टीवी कम्पनियों के नेटवर्क ही खराब कर दिये जाते हैं। उन्नाव रेप कांड जिसमें भाजपा विधायक कुलदीप सिंह आरोपित था को उज़ागर करने के कारण न्यूज नेशनल चैनल के मालिक ने भाजपा सरकार के दबाव में पत्रकार वीरेन्द्र यादव को चैनल से बाहर कर दिया गया जिसका 'जंग एक पत्रकार के इंसाफ़ के लिये जो उन्नाव रेपकांड सामने लाया था' में भंडा फ़ोड़ किया गया है।

मोदी सरकार के उद्योगपतियों से घनिष्ठ संबंधों पर 'पहले देश के उद्योगपति अपना करोबार बढाने के लिये ''पीए'' रखते थे अब ''पीएम'' रखते हैं तथा न्यूज चैनल पर टीवी स्टूडियो में बहस के दौरान मार-पीट पर 'बहस के दौरान न्यूज चैनल पर मार-पीट समय कम है आप जल्दी से दो घूंसे और चार थप्पड़ में अपना पक्ष रखें' कार्टूनों द्वारा मोदी सरकार की नीतियों पर उचित कटाक्ष किया गया है।

एक कैंपस के भीतर 34 बच्चियों के साथ बलात्कार होता रहा, नीतीश का बिहार सोता रहा

रवीश कुमार की विशेष रिपोर्ट

बिहार के मुज़फ्फरपुर में एक बालिका गृह है। इसे चलाते हैं एनजीओ और सरकार पैसे देती है। इस बालिका गृह में भागी भटकी हुई लड़कियों को ला कर रखा जाता है, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता है, मां बाप नहीं होते हैं। इस बालिका गृह में रहने वाली लड़कियों की उम्र 7 से 15 साल के बीच बताई जाती है।

टाटा इस्टिट्यूट ऑफ साइंस जैसी संस्था ने इस बालिका गृह का सोशल ऑडिट किया था जिसमें कुछ लड़कियों ने यौन शोषण की शिकायत की थी। उसके बाद से 28 मई को एफ आई आर दर्ज हुआ और कशिश न्यूज़ चैनल ने इस ख़बर को विस्तार से कवर किया। यहां रहने वाली 42 बच्चियों में से 29 के साथ बलात्कार और लगातार यौन शोषण के मामले की पुष्टि हो चुकी है। एक कैंपस में 29 बच्चियों के साथ बलात्कार का नेटवर्क एक्सपोज़ हुआ हो और अभी तक मुख्य आरोपी का चेहरा किसी ने नहीं देखा है। पुलिस की कार्रवाई चल रही है मगर उसी तरह चल रही है जैसे चलती है। मई से जुलाई आ गया और पुलिस मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर को रिमांड पर नहीं ले सकी।

इस मामले को शिद्दत से कवर करने वाले संतोष सिंह को राजधानी पटना की मीडिया की चुप्पी बेचैन कर रही है। वे हर तरह से समझना चाहते हैं कि एक कैंपस में 29 बच्चियों के साथ बलात्कार का एक पूरा नेटवर्क सामने आया है जिसमें राजनीतिक, न्यायपालिका, नौकरशाही और पत्रकारिता सब धुल मिट्टी की तरह लोट रहे हैं फिर भी मीडिया अपनी ताकत नहीं लगा रहा है। रिपोर्टर काम नहीं कर रहे हैं। संतोष को लगता है कि पूरा तंत्र बलात्कारी के साथ खड़ा है। इस मामले को लेकर विधानसभा और लोकसभा में हंगामा हुआ है मगर रस्मे अदाएगी के बाद सबकुछ वहीं है। ख़बर की पड़ताल ठप्प है तब भी जब 11 में से 10 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

जिस बालिका गृह में 42 में से 29 लड़कियों के साथ रेप हुआ हो, यह कैसे संभव है कि वहां हर महीने जांच के लिए जाने वाले एडिशनल ज़िला जज के दौरे के बाद भी मामला सामने नहीं आ सका। बालिका गृह के रजिस्टर में दर्ज है कि न्यायिक अधिकारी भी आते थे और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी के लिए भी सप्ताह में एक दिन आना अनिवार्य हैं ।

यह हिस्सा संतोष सिंह के पोस्ट का है। संतोष ने लिखा है कि बालिका गृह की देखरेख के लिए पूरी व्यवस्था बनी हुई है। समाज कल्याण विभाग के पांच अधिकारी होते हैं, वकील होते हैं, समाजिक कार्य से जुड़े लोग होते हैं। एक दर्जन से ज्यादा लोगों की निगरानी के बाद भी 29 बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है।आप जानते हैं कि हाईकोर्ट के अधीन राज्य विधिक आयोग होता है जिसके मुखिया हाईकोर्ट के ही रिटायर जज होते हैं। बालिका गृहों की देखरेख की जिम्मेवारी इनकी भी होती है। मामला सामने आते ही उसी दिन राज्य विधिक आयोग कि टीम बालिका गृह पहुंची। उसकी रिपोर्ट के बारे में जानकारी नहीं है।

संतोष सिंह ने लिखा है कि बालिका गृह को चलाने वाला ब्रजेश ठाकुर पत्रकार भी रहा है और पत्रकारों के नेटवर्क में उसकी पैठ है। संतोष समझना चाहते हैं कि क्या इस वजह से मीडिया में चुप्पी है। बिहार के अख़बारों और चैनलों ने इस ख़बर को प्रमुखता नहीं दी। ज़िला संस्करण में ख़बर छपती रही मगर राजधानी पटना तक नहीं पहुंची और दिल्ली को तो पता ही नहीं चला। ब्रजेश ठाकुर के कई रिश्तेदार किसी न किसी चैनल से जुड़े हैं। इन रिश्तेदारों की भूमिका स्पष्ट नहीं है।

ब्रजेश ठाकुर गिरफ्तार भी हुआ मगर तीसरे दिन बीमारी के नाम पर अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल से ही फोन करने लगा तो बात ज़ाहिर हो गई। पुलिस को वापस जेल भेजना पड़ा। ब्रजेश ठाकुर के परिवार वालों का कहना है कि रिपोर्ट में उनका नाम इसलिए आया कि उन्होंने पैसा नहीं दिया। न ही समाज कल्याण विभाग के एफ आई आर में उनका नाम है। किसी का भी नाम नहीं है। फिर उन्हें निशाना क्यों बनाया जा रहा है।इस बात की तो पुष्टि हो ही चुकी है कि 29 बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है। यह रिपोर्ट तो झूठी नहीं है। लेकिन 29 बच्चियों के साथ किन लोगों ने लगातार बलात्कार किया है, यह कब पता चलेगा।

ब्रजेश ठाकुर दोषी है या नहीं, यह एक अलग सवाल है मगर जांच नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा। जांच कैसे हो रही है, इस पर नज़र नहीं रखी जाएगी तो जांच कैसी होगी, आप समझ सकते हैं। सबके हित में है कि जांच सही से हो। संतोष सिंह ने ब्रजेश ठाकुर के रिमांड न मिलने पर भी हैरानी जताई है।

ऐसा पहला केस देखने को मिला है जिसमें पुलिस ब्रजेश ठाकुर से पुछताछ के लिए रिमांड का आवेदन देती है लेकिन कोर्ट ने रिमांड की अनुमति नहीं दी। पुलिस ने दोबारा रिमांड का आवेदन किया तो कोर्ट ने कहा कि जेल में ही पूछताछ कीजिए । बाद में पुलिस ने कहां कि जेल में ब्रजेश ठाकुर पुछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं,, दो माह होने को है अभी तक पुलिस को रिमांड पर नहीं मिला है। संतोष की इस बात पर ग़ौर कीजिए।

बिहार सरकार भी इस मामले में चुप रही। टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने 23 अप्रैल को बिहार समाज कल्याण विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। कशिश न्यूज़ ने इसका खुलासा नहीं किया होता तो किसी को भनक तक नहीं लगती और क्या पता बच्चियों के साथ बलात्कार होते रहता। एक महीने बाद समाज कल्याण विभाग एफ आई आर दर्ज करता है।

संतोष ने यह भी लिखा है कि मुज़फ्फरपुर की एस एस पी हरप्रीत कौर ने अगर सक्रियता न दिखाई होती तो इस मामले में थोड़ी बहुत कार्रवाई भी नहीं होती।

आप इसे चाहे जैसे देखें, मगर सिस्टम में इतना घुन लग गया है कि पेशेवर तरीके से कुछ भी होने की कोई उम्मीद नहीं है। वर्षों मुकदमा चलेगा, किसी को कुछ नहीं होगा। आखिर बिहार का मीडिया और मुज़फ्फरपुर का नागरिक समाज इस सवाल पर चुप क्यों है कि एक कैंपस में 29 बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है। उसे यह जानने में दिलचस्पी या बेचैनी क्यों नहीं है कि किन किन लोगों के सामने इन्हें डरा धमका कर पेश किया गया। क्या ये बलात्कार के लिए बाहर ले जाई गईं या बलात्कारी बालिका गृह के भीतर आए?

सीएम सिटी में अय्याशी का अड्डा

सामने ट्रैफिक पुलिस चालान काट रही

करनाल (म.मो.) बस अड्डा करनाल पुलिस चौकी के सामने वर्षो से अय्याशी का अड्डा चल रहा है जिसे पुलिस जानते हुये भी आँखें बन्द किये हुये है । बस अड्डा के सामने होटलों के इर्द गिर्द अय्याश महिलाओं को घूमते हुये देखा जा सकता है और पुलिस अधिकारी भी वहीं घूमते पाये जाते हैं। परन्तु पुलिस जानते हुये भी पकड़ने की कोशिश नहीं करती। जाहिर है कि यह सब काम बिना मंथली के नही चलता ।

उल्लेखनीय है कि बस अड्डा के बाहर चालान काट रहे ट्रैफिक पुलिस अधिकारी अपने एक साथी को बता रहा था कि वो देखो कि ये महिलायें ग्राहकों की तलाश में घूम रही हैं।

इसमें सफेद सूट वाली का रेट सबसे अधिक है ।

वहां पर खड़े इस संवाददाता ने पूछा कि आप जानते हैं तो पकड़ते क्यों नही । पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह मेरा ऐरिया नही है, इसमें हम कुछ नही कर सकते। जिसका ऐरिया है वही करेगा ।

हैरानी की बात है कि यह सब धन्धा सी एम सिटी बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने 50 गज दूरी पर ही चल रहा है ।

बताया जाता है कि बस अड्डा पर उतरने वाले तथा होटल की तलाश में आने वाले ग्राहक को लड़कियां अपना शिकार बनाती हैं। ग्राहक तलाश कर एक दो घन्टे ही होटल में रुकती हैं और अय्याशी करने के बाद दूसरा ग्राहक तलाशने निकल पड़ती हैं। पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। सूत्रों का कहना है कि बस अड्डा पर उतरने वाले यात्रियों को रिक्शा चालक भी यह सुविधा मुहैया करवाते हैं तथा महिलाओं से अपनी तय कमीशन लेते हैं ।

FASHION.IN

Available all types of ladies cotton kurties, Fancy Kurties, Jegin, legin, Fancy Top, T-Shirts, Trousers and imported material in wholesale

SPECIALITY IN FANCY TOP & FANCY KURTIES

लेडिज कपड़ों पर भारी छूट

एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।

Address : 5M/22, N.I.T. FARIDABAD NEAR DAYANAND WOMEN COLLEGE, ST. JOSEPH CONVENT SCHOOL ROAD

Contact at : 9911489490